संख्या- 125 /2026 / 997 /चार-2026-2034228

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2026**

विषय- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में शताब्दी प्रवेश द्वार के निर्माण, परिसर की बाउंड्री वॉल एवं विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध ऐतिहासिक भवन में स्थापित प्रशासनिक कक्षों की आन्तरिक साज-सज्जा के कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 2028/भा0सं0वि0वि0-5(3)/2026 दिनांक 26 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के गरिमामयी 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विविध आयोजनो को विश्वविद्यालय की स्मृतियों में उद्गारित बनाये रखे जाने के उद्देश्य से प्रवेश द्वारों के निर्माण, परिसर की बाउंड्रीवॉल, परिसर में उपलब्ध ऐतिहासिक भवन में प्रशासकीय कक्षों की आन्तरिक साज-सज्जा आदि कार्य कराये जाने कि संबंध में कार्यदायी संस्था- सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 1191.67 लाख प्रेषित किया गया है।

2. प्रश्नगत परियोजना हेतु प्राप्त प्रारम्भिक आगणन रू0 1191.67 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना को **रू0 1107.53 लाख** की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में शताब्दी प्रवेश द्वार के निर्माण, परिसर की बाउंड्री वॉल एवं विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध ऐतिहासिक भवन में स्थापित प्रशासनिक कक्षों की आन्तरिक साज-सज्जा के कार्य कराये जाने हेतु **रू0 1107.53 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सात लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति** तथा चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में **रू0 553.76 लाख** (**रूपये पांच करोड़ तिरपन लाख छिहत्तर हजार मात्र**) **की वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रशासकीय विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन इंटीरियर वर्क, फर्नीचर, साउण्ड सिस्टम, स्पिलिट ए0सी0 का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रभाग द्वारा लागत में यथोचित कमी करते हुए अनुमन्य किया गया है। अत: निदेशक, संस्कृति निदेशालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा विभिन्न कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०- 9/2022/ए-1-357/दस-2022--10 (55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बॉट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। प्रभाग का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(8) संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का होगा।

(10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय /कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(19) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(21) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 553.76 लाख** (**रूपये पांच करोड़ तिरपन लाख छिहत्तर हजार मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048005500 भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर के अनुरक्षण एवं संरक्षण संबंधी कार्य **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-7-353-X-2025-26 दिनांक 30.03.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महाप्रबंधक/ नोडल संस्कृति विभाग, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-13, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।